फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 75 संख्याः 192 प्रभात जयपुर, बुधवार 12 फरवरी, 2025 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

Turkey By Car

The car made it easy to visit nearby attractions such as the Düden Waterfalls and the ancient city of Perge. Cappadocia was our penultimate stop, and the drive there was nothing short of magical

Amp up the Aesthetics

Stay Warm @ WFH

Keeping your fingers and toes warm is the key.

प्र.मंत्री मोदी ट्रम्प को क्या ''रिटर्न गिफ्ट'' देंगे?

ट्रम्प ने ''मित्र'' मोदी को अमेरिका यात्रा के दो दिन पहले, अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की सरकार के औपचारिक अभियोग पत्र क्रियान्वयन को स्थगित करवाने के आदेश दिये

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- अपनी दो दिवसीय अमेरिका यात्रा में, ट्रम्प व मोदी, व्यापार व टैरिफ के बारे में गंभीर मंथन करेंगे। क्या मोदी को ट्रम्प के तोहफे के एवज़ में भारत की ओर से भारी ''रिर्टन गिफ्ट'' तो नहीं देना पड़ेगा? संसद के सत्र के दौरान विपक्ष, इस ''रिर्टन गिफ्ट'' के मामले को गौर से देख रहा है तथा थोड़ी भी भारी ''रिर्टन गिफ्ट'' दी गई तो मोदी पर भारी आक्रमण करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है।
- फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, जो अमेरिका में 50 साल से लागू है, का मकसद था, अमेरिका की व विदेशी कम्पनियों को रिश्वत देकर, बिज़नैस प्राप्त करने से रोकना। ट्रम्प ने अपने एग्जीक्युटिव आदेश से इस एक्ट को 180 दिन में रिव्यु करके रिपोर्ट मांगी है तथा जब तक रिपोर्ट नहीं आती, इस एक्ट तहत दर्ज मामलों के क्रियान्वयन को स्थगित रखने के भी आदेश दिये हैं।
- लगभग आधा दर्जन अमेरिका के कांग्रेसमैन ने भी अमेरिका के नये एटॉर्नी जनरल को संयुक्त पत्र लिख कर, यह माँग की कि जब अडानी ग्रुप ने ''अपराध'' अमेरिका में नहीं किया और उनकी तथाकथित गैर-कानूनी गतिविधि से अमेरिका के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तो पूर्व राष्ट्रपति बाइडन ने अमेरिका के पुराने मित्र ''भारत'' के प्रमुख उद्योगपति के खिलाफ औपचारिक अभियोग पत्र क्यों दाखिल किया। क्या बाइडन भारत-अमेरिका के बीच कटुता पैदा करना चाहते थे। इस दृष्टि से भी पूरी जाँच होनी चाहिए।

नई दिल्ली, 11 फरवरी। अपने मित्र मोदी को खुश करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक एग्ज़ीक्युटिव आदेश जारी किया है, जिसमें अडानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत की जाँच के लिए लगाए गए 50 साल पुराने कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन की यात्रा पर बुधवार 12 फरवरी को वॉशिंगटन पहुंचेंगे और ट्रम्प का आदेश सोमवार को आया है।

ट्रम्प के आदेश पर कई सवाल उठने की संभावना है, क्योंकि मौजूदा बजट सत्र संसद के विपक्ष अवश्य ही इस मुद्दे को उठाएगा। अब देखना यह है कि इस आदेश के एवज में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प को क्या तोहफा दिया है। इस समय दोनों देशों के बीच ट्रेड और टैरिफ मुद्दे पर गंभीर चर्चा छिड़ी हुई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने अडानी समूह पर 1977 के कानून ''फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट'' लगाने पर रोक लगा दी है। यह एक्ट अमेरिकन कम्पनियों का दूसरे देशों में सरकारी मुलाजिमों को बिज़नैस प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने से प्रतिबंधित करता है।

ट्रम्प ने अमेरिका की एटॉर्नी जनरल पैम वॉन्डी से कहा है कि एफ.सी.पी.ए. के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए जो कि अमेरिका के कई हाई प्रोफाइल केसों का मूल बिंदु है, जिनमें भारतीय अरबपति और अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के खिलाफ दर्ज केस भी शामिल है।

पिछले साल जब जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी पर आरोप लगाया था कि वे भारतीय अधिकारियों को सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले में 250 मिलियन डॉलर (लगभग 2,100 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने के षड्यंत्र में शामिल हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटाः एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या की

कोटा, 11 फरवरी (निसं)। कोटा में जिला सवाईमाधोपुर निवासी, नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने सुबह फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र दादाबाड़ी इलाके के प्रताप नगर इलाके में पीजी में रहता था। करीब डेढ़ महीने पहले उसने पीजी के पास ही किराए पर कमरा लिया था।

दादाबाड़ी थाना सीआई मांगेलाल यादव के अनुसार, सुबह नौ बजे छात्र के सुसाइड की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत कारणों से सुसाइड करना सामने आया है। थाना अधिकारी ने बताया कि छात्र कोटा के

- सवाई माधोपुर जिले का छात्र नीट की तैयारी कर रहा था और डेढ़ महीने पहले ही पी.जी. के पास कमरा लिया था।

एक कोचिंग सैंटर में नीट की तैयारी कर रहा था। मंगलवार सुबह उसने अपने पिता से मोबाइल पर बात की थी। उसके बाद उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। वह प्रताप नगर इलाके के मकान में 2 महीने पहले ही रहने आया था। उसकी मौसी का लड़का भी पड़ौस में रहता है। मौसी का लड़का जब उसके कमरे पर आया तब घटना का पता लगा। इसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को कुछ वॉट्सऐप चैट मिली हैं जिसमें आत्महत्या के व्यक्तिगत कारण सामने आए हैं। सूचना पर मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा के सदस्य बनेंगे?

पंजाब में फिलहाल सात राज्यसभा सदस्य हैं, किसी एक सदस्य का इस्तीफा दिलाकर केजरीवाल इस सदन का सदस्य बनना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में विधायकों की कम संख्या होने से दिल्ली से राज्यसभा की सीट पाना संभव नहीं लगता

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- राज्यसभा की सदस्यता भी एक कारण है, जिसकी वजह से केजरीवाल पंजाब के मु.मंत्री भगवंत सिंह मान को बदलने के पक्ष में नहीं हैं।
- जब तक मान पंजाब के मु.मंत्री हैं, केजरीवाल दिल्ली बैठकर पंजाब के ''सुपर चीफ मिनिस्टर'' का रोल अदा कर सकते हैं।
- इसीलिये उन्होंने अपने विश्वासी लोगों को पंजाब में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करवाना शुरु कर दिया है। उदाहरण के लिये, विभव कुमार को पंजाब सरकार में सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है तथा ज़ैड क्लास सुरक्षा प्रदान की गई है।
- यह दूसरी बात है कि आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालिवाल, जिन्होंने विभव कुमार पर, उन्होंने केजरीवाल के निवास पर उनसे मारपीट का आरोप लगाया था, ने विभव कुमार की नियुक्ति पर कहा कि ''गुंडे'' को पंजाब भेजा गया है, जिससे वह वहाँ से पैसा लूट कर दिल्ली भेजे।

नई दिल्ली, 10 फरवरी। आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली में हार के बाद, दो सवाल उठे हैं: पहला, अरविंद केजरीवाल अपने लिए किस तरह की भूमिका तय करेंगे? और दूसरा, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बदल दिया जाएगा?

पहले सवाल के बारे में: अगर आप यह निर्णय लेती है कि मान को पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले बदला जाए, तो यह संभावना नहीं के बराबर है कि केजरीवाल उनकी जगह लेंगे। फिलहाल, केजरीवाल 'सुपर सीएम' की भूमिका में ज्यादा सहज हैं। केजरीवाल ने पहले से ही पंजाब सरकार में अपने वफादारों को नियुक्त करना शुरू कर दिया है, हाल ही में बिभव कुमार को सलाहकार के रूप में राज्य में नियुक्त किया गया है, जिन्हें ज़ैड प्लस सुरक्षा भी प्रदान की गई है। इस घटनाक्रम ने सांसद स्वाति मालीवाल को नाराज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ''गुंडे'' को पंजाब भेजा गया है ताकि ''राज्य से पैसे लूटे जाएं और उन्हें दिल्ली भेजा जाए।'' उल्लेखनीय है कुमार पर स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास में पीटा, कुमार इस पर जेल भी गए थे।

दिल्ली में आप की हार ने पंजाब में राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है, और विपक्षी नेताओं ने आप सरकार को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आरपीएससी संवैधानिक आयोग है या गूंगी-बहरी संस्था'

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बुधवार तीन बजे तक भर्ती रद्द करने से जुड़ी सभी पत्रावलियाँ पेश करने को कहा

- हाई कोर्ट ने आरपीएससी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग के सदस्य पेपर लीक में शामिल रहे, इसके बावजूद आयोग ने चुप्पी साधे रखी।

जयपुर, 11 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए आरपीएससी (राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन) की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। वीडियो कॉन्फ्रैंस (वी सी) के जरिए सुनवाई से जुड़े आयोग चेयरमैन से अदालत ने कहा कि आयोग के सदस्य पेपर लीक में शामिल रहे और एक सदस्य की तो दो भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में भूमिका सामने आई, इसके बावजूद भी आयोग ने चुप्पी साधे रखी। यह संवैधानिक आयोग है या गूंगी-बहरी संस्था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में ईडी को भी पक्षकार बना लिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को तीन बजे तक की और राज्य सरकार को कहा है कि वे भर्ती रद्द करने से जुडी समस्त पत्रावलियां अदालत में पेश करे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान आरपीएससी चेयरमैन वीसी के जरिए और एसओजी के एडीजी वीके सिंह व्यक्तिशः पेश हुए। अदालत के पूछने पर वीके सिंह ने पेपर लीक को लेकर शुरू से लेकर अब तक हुए अनुसंधान की जानकारी की। इस दौरान आयोग के सदस्यों की भूमिका सामने आने पर अदालत ने आयोग चेयरमैन से सवाल-जवाब किए। अदालत ने चैयरमेन से पूछा कि उनकी ओर से मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। इस पर चैयरमेन ने कहा कि जब मामले का खुलासा हुआ तब तक आयोग सफल अभ्यर्थियों को लेकर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेज चुका था। इसलिए उनके हाथ में कुछ नहीं था। इस पर अदालत ने कहा कि उनके दो सदस्यों के नाम पेपर लीक में आए हैं, लेकिन आयोग ने कुछ नहीं किया, आरपीएससी का कोई धणी-धोरी है या नहीं। इस दौरान अदालत ने वीके सिंह को कहा कि आयोग ऐसी संस्था है, जहां कुछ भी हो सकता है। इस पर सिंह ने कहा कि पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अदालत ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब जो हो रहा है वह तीन-चार साल बाद सामने आएगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अश्लीलता करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई

जयपुर, 11 फरवरी। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ अश्लीलता करने वाले अभियुक्त अजय कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल ने कहा

- पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह गंभीर मामला है। अभियुक्त के प्रति सहानुभूति नहीं रखी जा सकती।

कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ गंभीर अपराध किया है। ऐसे में उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखी जा सकती।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 15 मई, 2022 को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी नाबालिग बेटी को अभियुक्त ट्यूशन पढ़ ाता है। सुबह उसके काम पर जाने के बाद पीड़िता ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अब आप ''अपनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक'' का ''प्लास्टिक स्ट्रॉ'' से पूर्ण आनन्द लें'

ट्रम्प सदा से ''पेपर स्ट्रॉ'' के खिलाफ रहे हैं और नारा देते रहे हैं कि ''पेपर स्ट्रॉ'' बेहूदा तरीके से आपके मुँह में घुल जाती है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदत दिल्ली ब्यूरो-

- अतः अब सोमवार को ''प्लास्टिक स्ट्रॉ'' के उपयोग को कानूनी तौर पर जायज़ करार करके ट्रम्प ने अपने ''एग्ज़ीक्युटिव ऑर्डर'' से सिंगल यूज़ ''प्लास्टिक'' के उपयोग को 2035 तक खत्म करने के अभियान को गहरा धक्का पहुँचा दिया है।
- प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, हर मिनट में एक ट्रक ''प्लास्टिक वेस्ट'' समुद्र में डाला जाता है तथा प्लास्टिक को पूर्णतया घुलने में 200 साल लगते हैं तथा वह समुद्र में ''माइक्रो प्लास्टिक'' में परिवर्तित होकर विद्यमान रहता है और अंततोगत्वा मछलियों, कछुओं व अन्य समुद्री वाइल्ड लाइफ के पेट में जाकर जम जाता है और मनुष्य की धमनियों व नसों में पहुँचता है।

नई दिल्ली, 11 फरवरी। पर्यावरण व्यवस्था को एक और बड़ा झटका देते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अत्यधिक प्रदूषणकारी प्लास्टिक स्ट्रॉ से संबंधित एक सरकारी आदेश को पलटने वाले हैं। उनका कहना है कि कागज़ के स्ट्रॉ ''काम नहीं करते।''

ट्रम्प ने सोमवार को एक एग्ज़िक्युटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा, ''यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। हम प्लास्टिक स्ट्रॉ का उपयोग वापस ला रहे हैं।''

5 जून 2018 को, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत धूमधाम से घोषणा की थी कि भारत 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को समाप्त कर देगा, लेकिन 2025 तक भी इसका उपयोग हो रहा है, विक्रेता खुलेआम इसका उपयोग कर रहे हैं।

15 अगस्त 2019 को, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को अपने संबोधन में, मोदी ने अपने संकल्प को दोहराया और नागरिकों से ''देश को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करने'' की अपील की।

कई अमेरिकी राज्यों और शहरों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि, ये महासागरों और जलमार्गों को प्रदूषित करते हैं और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ रैस्त्रां अब ग्राहकों को ऑटोमौटिकली प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं देते। लेकिन प्लास्टिक स्ट्रॉ, समस्या का केवल एक छोटा हिस्सा हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बने खाद्य और पेय कंटेनरों से पर्यावरण भरा हुआ है – पानी की बोतलें, टेकआउट कंटेनर, कॉफी के ढक्कन, शॉपिंग बैग्स और भी बहुत कुछ।

विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में हर मिनट एक कचरे के ट्रक के बराबर प्लास्टिक महासागर में प्रवेश कर रहा है, जिसमें प्लास्टिक बैग्स, टूथब्रश, बोतलें, खाद्य पैकेजिंग और अन्य सामग्री शामिल हैं। जैसे-जैसे इस सामग्री का पर्यावरण में विघटन होता है, वैसे-वैसे माइक्रोप्लास्टिक्स मछलियों, पक्षियों और अन्य जानवरों के पेटों में, साथ ही मानव रक्त और ऊतकों में पहुँचती हैं।

इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादन से ग्रह को गर्म करने वाली ग्रीनहाउस गैसों और अन्य खतरनाक प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। नब्बे प्रतिशत से अधिक प्लास्टिक उत्पाद जीवाश्म ईंधनों, जैसे तेल और प्राकृतिक गैस से होता है, और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं करें'

नई दिल्ली, 11 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का डेटा डिलीट न किया जाए। शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम का डेटा कैसे सुरक्षित रखा जाता है और प्रक्रिया क्या होती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी

- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश भी दिया कि इन मशीनों में नया डेटा भी नहीं डाला जाए।

डेटा डिलीट न किया जाए और न ही इसमें कोई नया डेटा डाला जाए।

चीफ जस्टिस (सीजेआई) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को बर्न करने की प्रक्रिया क्या है।सीजेआई ने कहा, इसमें किसी तरह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका के विदेशी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने के एक तरफा निर्णय के खिलाफ चीन ने डबल्यु.टी.ओ. के समक्ष न्याय की गुहार की!

चीन के बाद हांगकांग ने भी अमेरिका के इस निर्णय के खिलाफ डब्ल्यु.टी.ओ. में शिकायत दर्ज की

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीन के डब्ल्यु.टी.ओ. के विवाद निवारण तंत्र के समक्ष अपनी शिकायत पेश करने को, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताया अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य की दृष्टि से।
- अखबार ने यह भी आशा जताई कि डब्ल्यु.टी.ओ. की सभी सदस्य देशों के विचार लेकर निर्णय लेने की प्रथा मजबूत रहे, विशेषकर, आज के माहौल में जबकि, राष्ट्रपति ट्रम्प एकतरफा निर्णय लेकर, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के काम करने की परम्परा व प्रथा पर भारी आघात कर रहे हैं, जिससे इकॉनोमिक अस्थिरता बढ़ेगी।

नई दिल्ली,11 फरवरी। अमेरिका की अधिक आक्रामक टैरिफ नीति के कारण, विश्व स्तर पर व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निष्पक्षता और स्थिरता बनाए रखने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (डब्ल्यू.टी.ओ.) की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

कुछ दिन पहले ही चीन ने अमेरिकी शुल्क नीति के खिलाफ डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद निपटाने वाले तंत्र का इस्तेमाल करते हुए दस प्रतिशत शुल्क लगाने पर विरोध जताया था, इसके बाद हांगकांग ने घोषणा की कि वह अमेरिकी निर्णय के खिलाफ डब्ल्यू.टी.ओ. में औपचारिक शिकायत दर्ज करेगा। अमेरिका ने हांगकांग निर्मित उत्पादों पर भी अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है।

डब्ल्यू.टी.ओ. लम्बे समय से वैश्विक व्यापार व्यवस्था का आधार रहा है और बढ़ती संरक्षणवादी नीतियों और एकतरफा कदमों से इस वातावरण में डब्ल्यू.टी.ओ. की सत्ता को कायम रखना महत्वपूर्ण है।

विश्लेषकों का कहना है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के जरिए समाधान की मांग करते हुए, चीन संकेत देता है कि वह बहुपक्षीय व्यापार मानदंडों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही उसे अमेरिका की बढ़ती संरक्षणवादी नीतियों का सामना करना पड़े। ये कदम वॉशिंगटन के एक पक्षवाद के रुझान का प्रतिकार करते हैं और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में निष्पक्षता और नियम आधारित सिद्धांतों के लिए चीन की भूमिका को मजबूत करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. विश्वव्यापी व्यापार प्रणाली की नींव के रूप में पहचाना जाता है। विवादों को हल करने और व्यापार में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन द्वारा अमेरिकी शुल्क नीतियों को चुनौती देने के लिए इसका इस्तेमाल करना इस संगठन की प्रासंगिकता को दर्शाता है, भले ही वर्तमान में चुनौतियाँ क्यों न मौजूद हों। अपने खुद के व्यापार हितों की रक्षा करने के अलावा, चीन की शिकायत बहुपक्षीयता (मल्टीलैट्रलिज़्म) के लिए उसके समर्थन की फिर से पुष्टि करती है और डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा प्रस्तुत पारदर्शिता, निष्पक्षता और नियम पालन के सिद्धांतों की रक्षा की आवश्यकता को उजागर करती है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के शासन में अपनाई गई आक्रामक शुल्क नीति पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की गईं। ट्रंप ने हाल ही में कई देशों पर पारस्परिक शुल्क लागू करने की योजना की घोषणा की है, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इससे वैश्विक व्यापार प्रणाली को भारी झटका लग सकता है। यदि यह नीति लागू होती है, तो यह संरक्षणवाद को बढ़ावा दे सकती है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती है और इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक परिणाम पड़ सकते हैं।

ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में कहा गया है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के प्राधिकरण की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके सदस्य देशों के बीच बातचीत कर बताए गए व्यापार नियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की नींव

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बस कंडक्टर के परिवाद पर पूर्व आईएएस के खिलाफ एफआईआर के निर्देश

जयपुर, 11 फरवरी।जयपुर मेट्रो-द्वितीय की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व आईएएस व बस कंडक्टर के बीच किराए को लेकर हुए विवाद व मारपीट से जुड़े आरोप मामले में पूर्व आईएएस रामधन मीणा के खिलाफ कानोता थाना पुलिस को राजकार्य में बाधा डालने

- न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कंडक्टर व पूर्व आईएएस के बीच किराये को लेकर हुए विवाद व मारपीट के मामले में ये निर्देश दिये।

सहित अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश बस कंडक्टर घनश्याम शर्मा के परिवाद पर दिया।

मामले से जुड़े अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि परिवादी जेसीटीएसएल बस में कंडक्टर के पद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)